Topic 1:– राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

चर्चा में क्यों :– हाल ही में राजस्थान में पुरानी परंपराओं पर आधारित होने वाले बाल विवाह पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं

राजस्थान में वर्तमान में भी बड़ी संख्या में बाल विवाह किए जाते हैं जिस पर सरकार लंबे समय से नियंत्रण लगाने का प्रयास कर रही है

अक्षय तृतीया के त्यौहार पर राजस्थान में बड़ी मात्रा में बाल विवाहों का आयोजन किया जाता है जिन्हें रोकने के लिए सरकार तथा हाईकोर्ट के द्वारा दिशा निर्देशों को जारी किया गया है

वर्तमान स्थितिः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के डेटा के अनुसार 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2005-06 में 47.4% था।

जबकि यह आंकड़ा 2019-21 में घटकर 23.3% रह गया ।

बाल विवाह :–

सरकार द्वारा निर्धारित किए गए उम्र से कम उम्र में किए गए विवाह बाल विवाह के अंतर्गत आते हैं इन्हें भारत के कानून के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

बाल विवाह अनौपचारिक गठबंधन होते हैं जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने जीवनसाथी के साथ में पति-पत्नी के तरह रहते हैं

यूनिसेफ ने भी बाल विवाह को परिभाषित किया है जिसके अनुसार बाल विवाह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क या किसी अन्य बच्चे के बीच किसी औपचारिक विवाह या अनौपचारिक गठबंधन से है।
बाल विवाह से अधिकतर लड़कियां प्रभावित होती है।

बाल विवाह को रोकने के लिए किए गए प्रयास :-

भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act: PCMA), 2006 पारित किया गया जिसके तहत विवाह के लिए लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई ।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act: PCMA), 2006 की धारा 16 राज्य सरकार को अधिकार देता है की पूरे राज्य या क्षेत्र -विशेष के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) नियुक्त करे ।

बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) का कर्तव्य होगा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बाल विभाग के प्रति हानिकारक प्रभावों के लिए जागरुकता फैलाना।

हाल ही में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश :-

कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम प्रधान और पंचायत के सदस्य बाल विवाह रोकने की लिए जिम्मेदार हैं

इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने राज्य पंचायत राज नियम 1996 प्रावधान किया है कि किसी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले बाल विभाग को रोकने की जिम्मेदारी उसे क्षेत्र के सरपंच का कर्तव्य होगा।

बाल विवाह के लिए उत्तरदाई कारक :-

मध्यकालीन समय में इस्लामी आक्रमण,सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं और मानदंड,शिक्षा की कमी और वर्तमान समाज में महिलाओं को बोझिल समझ जाना।

बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास :-

बाल विवाह की रोकथाम के लिए लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तुत।

Result Mitra

आपातकालीन टेलीफोन सेवा चाइल्डलाइन 1098 की शुरुआत यह पहल केंद्र द्वारा बाल विवाह की रोकथाम सहित किसी भी प्रकार की बाल सहायता हेतु प्रारंभ की गई है यह सेवा 24X7 चालू रहती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजनाः इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना,बालिकाओं द्वारा मध्य अवधि में शिक्षा को छोड़ने से रोकना, बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

सुकन्या समृद्धि योजनाः इस योजना के तहत जो धनराशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है उसे निकालने में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जब लड़की की उम्र 18 वर्ष से के ऊपर होगी तभी इस धनराशि को निकाला जा सकता है।

Topic 2 :– "एशिया में वृद्धजनों (एजिंग) का कल्याणः एशियाई विकास नीति रिपोर्ट"

चर्चा में क्यों :– एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसका शीर्षक है "एशिया में वृद्धजनों (एजिंग) का कल्याणः एशियाई विकास नीति रिपोर्ट"

एडीबी द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में वृद्ध जनों के कल्याण हेतु चार मुख्य पहलुओं को पहचाना गया है जो इस प्रकार है :– स्वास्थ्य, उत्पादक कार्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक संलग्नता।

तड़प द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य बिंदुः–

एक तरफ जहां एशिया की अर्थव्यवस्था विकासशील होती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसी क्षेत्र में वृद्धजनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

अगर वृद्ध जनों की संख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही तो इनकी आबादी को सहारा देने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे युवा पीढ़ी को संसाधनों की कमी हो सकती है।

एक अनुमान के अनुसार 2022 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि जनों की संख्या कुल जनसंख्या का 13.5 पर्सेंट थी इसमें वृद्धिजनों के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों को गिना गया है।

रिपोर्ट में कहां गया है कि आने वाले 26 वर्षों में इन बुजुर्गों की संख्या दुगनी होकर 25.2% हो जाएगी जो कुल आबादी का 1.2 बिलियन है।

रिपोर्ट में उल्लेखित भारत से संबंधित तथ्य:-

भारत में 21 परसेंट बुजुर्ग ही स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त करते हैं। यह प्रतिशत एशिया में सबसे कम है।

भारत में केवल 21% वृद्धजनों को स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्राप्त है। यह एशिया में सबसे कम है।

हेल्दी एजिंग या स्वस्थ बुढ़ापे से संबंधित चुनौतियां :-

60 वर्ष के बाद जब मनुष्य का बुढ़ापा प्रारंभ होता है तो जीवन शैली प्रभावित होती है जिससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

इस उम्र में वृद्धजनों के सामने दो बड़ी चुनौतियां होती हैं पहले अकेलेपन की और दूसरी सामाजिक उपेक्षा की।

इस उम्र में वृद्धजनों को आर्थिक असुरक्षा का सामना भी करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 40% वृद्धजनों के पास आय के रूप में न तो पेंशन है ना आय का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध है।

एशियाई विकास बैंक:

- एशियाई विकास बैंक को ADB के संक्षिप्त रूप में जानते हैं
- ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी

स्थापना के उद्देश्य :- 1.एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ।

2.यह बैंक अपने सदस्यों तथा भागीदारों को सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करता है

Result Mitra

सदस्य :– कुल 68 सदस्य हैं जिसमें से 49 सदस्य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, और 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है।

भारत ADB का संस्थापक सदस्यों में से एक है।

ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

ADB में पाँच बड़े देशों का शेयर में हिस्सा :–
जापान और अमेरिका (दोनों के पास सबसे अधिक कुल शेयरों का 15.6%), चीन (6.4%), भारत (6.3%) तथा ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।

Topic 3 :– भारत में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में आई कोयले के हिस्सेदारी में कमी

चर्चा में क्यों :– हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी में 50% से अधिक की कमी आई है।

किसके द्वारा करवाया गया यह अध्ययन :– "ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW)" के द्वारा।

कुल विद्युत उत्पादन क्षमता :– 442 GW

नाभिकीय :–12.9%

कोयला :– 49.2%

नवीकरणीय ऊर्जा (RE) :– 32.5%

अन्य :– 5.4%

अध्ययन से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व :–
वित्त वर्ष 2024 के दौरान 442 गीगावॉट (GW) की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता भारत के द्वारा हासिल की गई है

442 गीगावॉट (GW) की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में से 25.9 GW की निवल (नेट) विद्युत उत्पादन क्षमता इस वित्त वर्ष में जोड़ी गई
वित्त वर्ष 2024 के द्वारा विद्युत के क्षेत्र में इस नई विद्युत क्षमता में 71.3% नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्रोतों से जोड़ी गई है।
इन नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्रोतों में सबसे अधिक भागीदारी सौर ऊर्जा की है।

देश में उत्पादित होने वाली कुल नवीन विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी भले ही प्रतिशत के हिसाब से कम हो गई हो, किन्तु कोयला आधारित समग्र नई उत्पादन क्षमता में वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई ।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती मांग :– इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मांग में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 45% की वृद्धि देखने को मिली

सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ ऐसी पहले जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा :–

हाइड्रोजन हबः हाइड्रोजन हूं जैसी अब संरचनाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा बजट 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

2024 के बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (2024) के लिए नए प्रावधान जोड़े गए जिसके तहत: एक करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया ।

भारत में ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रीन अमोनिया के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया है।

Result Mitra

प्रश्न. 'इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' शब्द को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

(a) युद्ध प्रभावित मध्य-पूर्व से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा की गई प्रतिज्ञा
(b) जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये विश्व के देशों द्वारा उल्लिखित कार्ययोजना
(c) एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना में सदस्य देशों द्वारा योगदान की गई पूंजी
(d) सतत् विकास लक्ष्यों के संबंध में दुनिया के देशों द्वारा उल्लिखित कार्ययोजना

उत्तर: (b)

मेन्स:
प्रश्न. पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिये। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या हैं? (2020)

Result Mitra

Topic 4 :– शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley)

चर्चा में क्यों:– चीन इस क्षेत्र में अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर रहा है जिसका विरोध भारत के द्वारा किया जा रहा है

शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley) यह घाटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है जहां पर चीन के द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है और भारत इस निर्माण कार्यक्रम विरोध कर रहा है

- **शक्सगाम घाटी के बारे में**

- इस घाटी को ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है
-
- इसी क्षेत्र में शक्सगाम नदी भी अवस्थित है।
- यह क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर पश्चिम में , बाल्टिस्तान के उत्तर में , गिलगिट के पूर्व में और चीन के जिनजियांग के दक्षिण में स्थित है
- यह क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक है तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी और कुरनूल पर्वतमाला की चोटियों से घिरा हुआ है
- यह घाटी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है
- यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है
- पाकिस्तान और चीन के बीच हुए एक समझौते के तहत 1963 में पाकिस्तान ने यह क्षेत्र अवैध रूप से चीन को हवाले कर दिया.
- इस जगह भारत, पाकिस्तान के अलावा चीन, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं.
- इस सड़क निर्माण कार्य से देपसांग और दौलत बेग ओल्डी जैसे क्षेत्रों में भारत के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।

Result Mitra

Topic 5 :– चुनाव लड़ने तथा कैदियों के वोट डालने का अधिकार

चर्चा में क्यों :– हाल ही में भारत में यह मुद्दत चर्चा में बना हुआ है की क्या दोषियों को चुनाव लड़ने का अधिकार और कैदियों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है

चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to Contest Election): लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 8(3) के अनुसार प्रदान किया जाता है परंतु यह अधिनियम किसी दोषी व्यक्ति को किसी भी न्यायालय द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है तो बह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

एक बार दो से ठहराए जाने के बाद बेशक वह व्यक्ति जमानत पर रिहा होकर आए तब भी वह चुनाव लड़ने के अधिकार से बाहर हो जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ यह बात चर्चा में है कि क्या कैदियों को मतदान का अधिकार (Right to Vote of prisoners) है

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 62 (5) के अनुसार जेल में बंद किसी भी व्यक्ति को मतदान का अधिकार (राइट टू वोट) प्राप्त नहीं होगा ।

इस प्रावधान के अंतर्गत जेल की सजा पाए हुई कैदी, निर्वासन की सजा पाए हुई व्यक्ति और पुलिस की कानूनी हिरासत में व्यक्तियो सभी पर लागू होता है।

परंतु परंतु अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो बह व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA, 1951 की धारा 62 (5) और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 18 के तहत चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखता है।

प्रश्न- भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1.जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।

2.कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिये राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

Result Mitra